न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–2 जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी – **सुषमा शर्मा,**
आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दाण्डिक अपील संख्या – 18 / 2023
सी.आई.एस. नम्बर – 362 / 2023

विवेक खण्डेलवाल पुत्र श्री रवि खण्डेलवाल, निवासी प्लॉट नंबर 90, जेलीकोई रोड, 21–27, सिटी लाईट, सिंगापुर, 208749 स्थाई पता थर्ड फ्लोर, कमिश्नेट रोड, हस्टीग कोर्ट, एच.एस.सी.एल. बिल्डिंग, कलकत्ता

––अपीलार्थी / अप्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए लोक अभियोजक
2. कनुप्रिया पूर्व पत्नी श्री विवेक खण्डेलवाल पुत्री श्री रमेश पोद्दार, निवासी 59–60, वार्ड नंबर 93, बर्मीज कोलोनी, आदर्श नगर, तहसील जिला जयपुर, पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर

–––प्रत्यर्थीगण

दाण्डिक अपील अन्तर्गत धारा 29 घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 विरूद्व आदेश दिनांक 13.06.2023
प्रकरण सं0–42 / 2020 सीआईएस नंबर 1010 / 2020 अनुप्रिया / विवेक खण्डेलवाल
न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम 06, जयपुर महानगर प्रथम
पीठासीन अधिकारी हर्ष कुमार, आर.जे.एस.

उपस्थितिः–
1. श्री राजीव शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. श्री मनीष कुमार गुप्ता, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज. राज्य।
3. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

::– निर्णय ::– दिनांक : **24.06.2026**

1. अपीलार्थी / अप्रार्थी ने यह अपील न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–06, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा प्रकरण संख्या 42 / 2020, सीआईएस नंबर 1010 / 2020 बउनवानी कनुप्रिया बनामू विवेक खण्डेलवाल में पारित आदेश दिनांक 13.06.2023, से व्यथित होकर माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर–प्रथम के समक्ष प्रस्तुत की जो अंतरित होकर निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

2. इस प्रकरण में आगे सुविधा की दृष्टि से घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 को अधिनियम के नाम से संबोधित किया जाएगा।

3. न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 13.06.2023, तथ्यों एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। यदि हां तो किस कदर ?

4. अपील मैमो के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी का परिवादिया से दिनांक 12.12.2013 आईटीसी सोनर में विवाह हुआ था। जिसका पंजीयन 04.01.2014 को करवाया तथा विवाह के फलस्वरूप एक पुत्री कायरा का जन्म दिनांक 13.03.2017 को हुआ। विवाह के तीन दिन पश्चात् ही परिवादिया सिंगापुर में निवास करने चली गई थी। उसके पश्चात् 2019 में दोनों के मध्य मतभेद शुरू हो गए थे जिसके कारण अपीलार्थी ने एक कानूनी कार्यवाही करते हुए वकील के द्वारा आपसी रजामंदी से तलाक का नोटिस परिवादिया को दिनांक 19.09.2019 को दिया। जिसके जवाब में परिवादिया ने अपने वकील केद्वारा तलाक की शर्ते बताकर आपसी रजामंदी से दिनांक 04.10.2019 को अपने वकील के द्वारा नोटिस का जवाब देकर तलाक के लिए स्वीकृति दी। परिवादिया, अपीलार्थी को बताए बिना पुत्री के साथ मई 2020 में भारत आ गई। जिसके कारण अपीलार्थी ने एक तलाक की याचिका पारिवारिक न्यायालय सिंगापुर में प्रस्तुत की जिसमें परिवादिया न्यायालय सिंगापुर में तलाक की याचिका को खारिज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसको दिनांक 20.11.2020 को माननीय पारिवारिक न्यायालय सिंगापुर ने खारिज कर दिया। जिसकी एक अपील परिवादिया ने सिंगापुर हाईकोर्ट में जिसे भी सिंगापुर हाईकोर्ट ने खारिज फरमा दिया। परिवादिया को सिंगापुर कोर्ट में तलाक की कार्यवाही की जानकारी होते हुए जानबूझकर 31.07. 2020 को एक परिवार घरेलू हिंसा का माननीय अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जो विचाराधीन है। अपीलार्थी ने माननीय सिंगापुर न्यायालय से दिनांक 07.07.2021 को परिवादिया से अग्रिम तलाक प्राप्त कर लिया था तथा उसके पश्चात् दिनांक 15.11. 2022 को माननीय पारिवारिक न्यायालय सिंगापुर ने तलाक व मैन्टीनेंस की राशि तय करके अन्तिम निर्णय दे दिया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी दस्तावेजों पर विचार नहीं करके प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में यह लिखा है कि घरेलू हिंसा का परिवाद परिवादिया ने तलाक की प्रक्रिया सिंगापुर में शुरू होने से पूर्व ही पेश कर दी थी। जबकि अपीलार्थी ने यह साक्ष्य पेश किया था कि सिंगापुर में तलाक की प्रक्रिया उसी दिन से चालू हो गई थी जिस दिन अपीलार्थी

ने एक लीगल नोटिस तलाक के बाबत् परिवादिया को दिया था। घरेलू हिंसा का प्रार्थना पत्र चलने के लिए यह जरूरी है कि दोनों के मध्य पति पत्नी का संबंध होना जरूरी है तथा इस प्रकरण में दोनों के मध्य तलाक हो चुका है और दोराने तलाक ही भरण पोषण की राशि भी तय की जा चुकी है। परिवादिया ने अपने परिवाद में कोई भी ऐसी घरेलू हिंसा का जिक नहीं किया है जो वर्तमान में चालू हो और जिसको रोकने के लिए परिवाद पेश किया गया हो अपितु जो घटनाएं इस परिवाद में पेश की गई है वह भारत के बाहर की है व मनगढन्त घटना है। जिस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही होना संभव नहीं है। अंत में निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिनुसार नहीं होने से आदेश दिनांक 13.06.2023 को निरस्त किया जावे।

5. बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मैमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क पेश किया कि अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी के साथ कोई घरेलू हिंसा कारित नहीं की है। जिसे रोकने के लिए उसके द्वारा परिवाद पेश किया हुआ है, बल्कि जो भी घटनाएं अंकित की गई है वह घरे के बाहर की है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा प्रत्यर्थी के साथ घरेलू हिंसा कारित होने का तथ्य पत्रावली से प्रकट नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के मध्य विधिवत रूप से सिंगापुर न्यायालय से तलाक की डिक्री हो चुकी है। दोनों पक्षों के मध्य भरण पोषण की राशि भी तय की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी द्वारा विचारण न्यायालय में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित आदेश दिनांक 13.06.2023 अपास्त किए जाने योग्य होने से अपास्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जावे। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियाः–

2010 Supreme(Del) 977 Harbans Lal Malik Vs Payal Malik

6. दौराने बहस अपर लोक अभियोजक का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से विवेचन किया जाकर विधि अनुसार आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे।

7. बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सम्मान पूर्वकक अध्ययन एवं मनन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रत्यर्थी प्रार्थिया द्वारा दिनांक 23.07.2020

को विचारण न्यायालय के समक्ष घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत परिवाद पेश किया गया था। प्रकरण में दिनांक 16.01.2023 को अपीलार्थी की ओर से कार्यवाही निरस्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2023 को आदेश पारित किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया था। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी की ओर से अपील पेश की गई है।

8. अपीलार्थी का उक्त अपील मैमो में मुख्य आधार यह रहा है कि दोनों पक्षों के मध्य विवाह होने के पश्चात् दोनों ही पक्षों के मध्य विवाह होने के पश्चात् दोनों पक्ष सिंगापुर में पति पत्नी के तौर पर निवास कर रहे थे। वर्ष 2019 में दोनों के मध्य मतभेद शुरू हो गए थे और प्रत्यर्थी, अपीलार्थी को बिना बताए पुत्री के साथ भारत आ गई थी। जिसके कारण अपीलार्थी की ओर से तलाक की याचिका पारिवारिक न्यायालय सिंगापुर न्यायालय में पेश की गई थी और अपीलार्थी ने सिंगापुर न्यायालय से दिनांक 07.07.2021 को अग्रिम तलाक व दिनांक 15.11.2022 को तलाक व मेंटीनेंस राशि के संदर्भ में अंतिम निर्णय दिया गया था। ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य विधिवत रूप से तलाक हो चुका है तो इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर पारिवारिक न्यायालय सिंगापुर के आदेश की प्रति का अवलोकन करें तो उक्त आदेश के पैरा 59 इस प्रकार है कि ''On the issue of backdating, for both the Wife and child, I note that the Wife has pursued this same issue in the Indian Courts in August 2020. That matter is pending in India and is not before me. Within the Singapore proceedings, there was no application for interim maintenance. Without any comment on the merits of the Wife's claim in India, or the appropriateness of the forum, conceptually, the Wife should not have a duplicated claim in both Courts in Singapore and India. I therefore do not accept the claim for backdated maintenance for either Wife or child. The maintenance order made for the child above shall commence from the date of this order and thereafter on the 1st day of each month.'' इस प्रकार उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से उपबंधित किया गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा यदि कोई एप्लीकेशन मेंटीनेंस के संबंध में भारत में पेश की गई है तो उसके संदर्भ में उक्त न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

9. अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से पेश न्यायिक दृष्टांत का सम्मान अध्ययन व अवलोकन किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टांत में अपीलार्थी/अप्रार्थी लडके के माता पिता थे जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी के साथ निवास नहीं करके अलग घर में निवास करते थे। प्रार्थी व अप्रार्थी उनके साथ निवास नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के माता पिता के विरूद्ध उक्त विधि के तहत की गई कार्यवाही निरस्त की गई थी। परन्तु हस्तगत प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियां व उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य व परिस्थितियॉ भिन्न है।

10. इसके अतिरिक्त प्रार्थिया/प्रत्यर्थी की ओर से अपीलार्थी द्वारा उसके साथ घरेलू हिंसा कारित किए जाने का तथ्य अंकित किया है और दोनों ही पक्षकारान भारत के निवासी है, जिनका विवाह भारत में सम्पन्न हुआ है और प्रार्थिया/प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी पर घरेलू हिंसा कारित किए जाने के आरोप लगाए हैं, जिनका निर्धारण प्रकरण के दोनों ही पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के पश्चात् ही किया जाना संभव है। उक्त तथ्यों का निर्धारण प्रारम्भिक स्तर पर किया जाना संभव नहीं है और विचारण न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों के संबंध में विस्तृत रूप से विवेचन किया जाकर विधि अनुसार आदेश पारित किया गया है।

11. अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार प्रकट है कि विधि व तथ्यों का विस्तृत रूप से विवेचन किया जाने के उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से आदेश पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में अपीलार्थी/अप्रार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 13.06.2023 पुष्ट किये जाने योग्य है।

: : <u>आ दे श</u> : :

12. फलतः अपीलार्थी विवेक खण्डेलवाल पुत्र श्री रवि खण्डेलवाल, निवासी प्लॉट नंबर 90, जेलीकोई रोड, 21–27, सिटी लाईट, सिंगापुर, 208749 स्थाई पता थर्ड फ्लोर, कमिश्नेट रोड, हस्टीग कोर्ट, एच.एस.सी.एल. बिल्डिंग, कलकत्ता की ओर से प्रस्तुत अपील एतद्द्वारा अस्वीकार कर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.06.2023 की पुष्टि की जाती है।

13. निर्णय की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख को वापस लौटाया जावे।

(सुषमा शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–2
जयपुर महानगर–प्रथम

14. निर्णय/आदेश आज दिनांक 24.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुषमा शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–2
जयपुर महानगर–प्रथम

SHRIKRISHAN SHARMA

Steno Gr. III
"Authenticated document"
Digitally signed by SHRIKRISHAN SHARMA
Date: 2026.06.24 13:51:09 +0530